

20/11/22

पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित एस डी ओ सा दे।
/अन्व कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली हुकम
आदिका दिनांक 14/11/22 को पेश है।


आदिका

14.11.2022

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष
अधिवक्ता बहस का अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाता है।
पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 28.12.2022 को पेश हो



28/12/22

पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित एस डी ओ सा दे।
/अन्व कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली हुकम
आदिका दिनांक 4/1/23 को पेश है।


आदिका

04.01.2023

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उक्त पत्रावली
अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के
तहत पेश की गई, जिसमें न्यायालय की डिक्री के तहत
नामान्तरण की कार्यवाही की गई। हमने पत्रावली का अध्ययन
किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन
किया। अतः उक्त नामान्तरण की अपील का क्षेत्राधिकार माननीय
न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय होने से अपीलांत सक्षम
न्यायालय में अपील दायर करे।

अतः पत्रावली को इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं
होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाकिल दफतर की जावें।


ह/1/23
उपस्थित अधिकारी
जि.स.स. (चित्तौड़गढ़)

